मध्यप्रदेश शासन

लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग, मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ एमपीआरडीसी/पीएएम/411/सीपी/2022 भोपाल,दिनांक 21/ 06 /2022

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी (समस्त)

जिला .... (म.प्र.)

विषय : **लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत नवीन योजना लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना का अनुमोदन।**

मंत्रि-परिषद निर्णय के अनुक्रम में जिले में स्थित लोक परिसम्पतियों के निर्वर्तन से प्राप्त राशि का अंश भाग संबंधित जिले को प्रदाय कर उस जिले की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं प्रोत्साहन राशि के माध्यम से जिला प्रशासन को लोक परिसम्पत्ति के उचित प्रबंधन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग को ''लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना'' लागू करते हुए उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्वीकृत की गई है। विषयांतर्गत योजना का विवरण आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

21.6.22

(विकास मिश्रा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग

मध्य प्रदेश शासन,

लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21/6/2022

:: अधिसूचना ::

क्रमांक एमपीआरडीसी/पीएएम/41/सीपी/22- राज्य शासन, एतद् द्वारा, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष में परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन से प्राप्त (परिसमापक एवं सार्वजनिक उपक्रम/बोर्ड की राशि को छोड़कर) राशि का 25 प्रतिशत बजट प्रावधान तथा रु. 150 करोड़ आगामी 04 वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26) के लिए स्वीकृत करते हुए जिले में स्थित परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन से प्राप्त राशि का अंश भाग संबंधित जिले को प्रदाय कर उस जिले की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना लागू की जाती है।

योजना का स्वरूप

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(i) इस योजना का संक्षिप्त नाम "लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना" है।

(ii) यह योजना, राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं –

(i) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''योजना'' से अभिप्रेत है, "लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना";

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. द्वारा जिलों को प्रदाय की जाने वाली राशि के उपयोग हेतु जिला स्तर पर गठित समिति;

3. योजना –

जिले में स्थित लोक परिसम्पतियों के निर्वर्तन से प्राप्त राशि का अंश भाग संबंधित जिले को प्रदाय कर उस जिले की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं प्रोत्साहन राशि के माध्यम से जिला प्रशासन को लोक परिसम्पति के उचित प्रबंधन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना लागू करते हुए उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

(I) जिला स्तरीय समिति का गठन –

म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. द्वारा जिलों को प्रदाय की जाने वाली राशि के उपयोग हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार रहेगा:-

(i)	जिले के प्रभारी मंत्री	- अध्यक्ष
(ii)	जिला कलेक्टर	- उपाध्यक्ष
(iii)	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जिला पंचायत	- सदस्य सचिव
(iV)	परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण	- सदस्य
(V)	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	- सदस्य

- समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति एक तिहाई सदस्यों से की जावेगी।
- समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार की जावेगी।

(II) समिति की शक्तियाँ तथा कृत्य

समिति के प्रबंधन एवं कार्यकरण पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अथवा निर्देशों, के यदि कोई हो, अध्याधीन रहते हुए समिति का सम्पूर्ण नियंत्रण होगा तथा निम्नलिखित शक्तियाँ होगी :-

(i) किए जाने वाले कार्यों का निष्पादन एवं कार्यों की प्रगति का पर्यवेक्षण।

(ii) लेखों का संधारण।

(iii) प्रोत्साहन राशि का किसी एक विकास कार्य में उपयोग सुनिश्चित करना।

(III) समिति की निधि

म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. की ओर से प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि तथा अन्य ऐसी राशियाँ जिनको कि समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं निधि में उससे उदभूत ब्याज सम्मिलित है।

(IV) कार्यों की सूची का अनुमोदन

जिला स्तरीय समिति आधारभूत संरचना के कार्यों की सूची तैयार कर अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत जिला कलेक्टर (उपाध्यक्ष) के माध्यम से म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. को प्रदाय करेगी। उक्त विकास कार्यों की सूची में उल्लेखित विषयों पर निर्णय म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. के संचालक मण्डल द्वारा लिया जावेगा।

(V) राशि आवंटन की प्रक्रिया

संबंधित जिले में स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन से प्राप्त राशि प्रथमतः म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. द्वारा शासन के खाते में जमा करने के पश्चात्, शासन द्वारा जमा योग्य राशि का 25 प्रतिशत म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. को लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा बजट के माध्यम से प्रदाय किया जावेगा। इस हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा अनुमानित राशि का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान करने के लिए एक नवीन बजट मद **''लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना''** सृजित किया जावेगा। म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. संबंधित जिले को **लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन** योजना हेतु जिला स्तर पर खोले गये बैंक खाते में राशि प्रदाय की जावेगी।

(VI) बैंक खाता

(i) लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना हेतु जिला स्तर पर पृथक रूप से समिति का अधिसूचित बैंक में खाता होगा, जो कि कम्पनी के नोडल एकाउंट से संबद्ध होगा।

(ii) बैंक खाते का संचालन मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जावेगा।

(VII) लेखों का संधारण

समिति के लेखे और उसके उपापन के लिए राज्य सरकार के नियम लागू होंगे।

उक्त योजना की अधिसूचना मंत्रि-परिषद आदेश आयटम 18, दिनांक 7 जून, 2022 के अनुक्रम में जारी की जाती है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

21.6.2

(विकास मिश्रा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग